

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 12.03.2023

कूटरचना कर जालसाजी व धोखाधड़ी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध त्वरित चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में 30नि0 नागेन्द्र मणि द्वारा मु0अ0सं0 134/2023 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि व मु0अ0सं0 142/23 धारा 419/420/467/468/471/147/148/504/506/406 भादवि व मु0अ0सं0 148/23 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि व मु0अ0सं0 163/23 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त सत्यवान यादव पुत्र प्रह्लाद निवासी जंगल हकीम न 2 मोहनापुर ओबा टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम एवं पता

सत्यवान यादव पुत्र प्रह्लाद निवासी जंगल हकीम न 2 मोहनापुर ओबा टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 134/2023 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 142/23 धारा 419/420/467/468/471/147/148 /504/506/406 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 148/23 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 163 /23 धारा 419/420/467/468/471/147/504/506/406 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम –

- 1.. 30नि0 नागेन्द्र मणि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
- 2.. का0 फिरोज अंसारी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर